संख्या: 08/2021/211/छप्पन-2021-31/2016(PMIC)

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/
सदस्य सचिव (PMIC),
ऑफिस नं0 1-15, ब्लाक पी-2,
से0-ओमेगा-1, ग्रेटर नॉएडा-201308,
जिला- गौतमबुद्धनगर।

2. जिलाधिकारी/कलैक्टर,
गौतमबुद्धनगर।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2021

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय।

महोदय,

नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 25 जनवरी, 2021 को सम्पन्न बैठक में निम्न निर्णय लिए गए:-

(क) नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर पर अतिरिक्त रनवे का निर्माण कराए जाने हेतु कन्सल्टैन्ट प्राइसवाटरहाउस कूपर्स लिमिटेड (PwC) द्वारा तैयार की गई फीजिबिलिटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अक्टूबर, 2020 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) PMIC की बैठक दिनॉक 03 दिसम्बर, 2020 में की गयी संस्तुति (**Acquisition of 1365 Ha of land for phase 1/ stage 2 of the Jewar Airport Project on immediate basis and acquisition of remaining 2053 Ha of land in stages, subject to availability of funds**) पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ग) मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 28 मई, 2020 एवं 24 सितम्बर, 2020 में जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण (रनवे की संख्या-2 से बढ़ाकर 4 या 6 करने) के सम्बन्ध में भूमि क्रय/अधिग्रहण हेतु लिए गए निर्णयानुसार ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) में विहित प्रावधानानुसार भूमि क्रय/अधिग्रहण की कार्यवाही किए जाने पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

2- मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- जिलाधिकारी/कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्तावानुसार 1365 हैक्टेयर भूमि के अर्जन का प्रस्ताव, इस पर आने वाले व्यय-भार के ऑकलन सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
सचिव

पृ0सं0- 08/2021/211(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 सरकार।
3. अतिरिक्त सचिव (एयरपोर्ट्स), नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. मण्डलायुक्त, मेरठ।
7. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 (NIAL)/ सदस्य सचिव (PMIC) से समन्वय स्थापित कर यथावश्यक कार्यवाही सम्पादित कराने का कष्ट करें।
8. विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया)/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराने का कष्ट करें।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।